CNR No.-CGBI060008102022

FORM–D

न्यायालय–कु. आकांक्षा सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ0ग0)	
निर्णय दिनांक 20.07.2026 प्रकरण क्रमांक 761/2022 धारा–279, 337, 338 भा.दं.सं. अपराध क्र.–152/2022	
Complainant	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–चकरभाठा जिला–बिलासपुर (छ०ग०)
REPRESENTED BY	श्री चंद्रकांत पाण्डेय, अभियोजन अधिकारी
ACCUSED	हरिशंकर गोंड पिता नंदू सिंह गोड़, आयु 40 वर्ष, निवासी–लिमतरी, थाना चकरभाठा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
REPRESENTED BY	श्री राजकुमार राजपूत अधिवक्ता।

FORM–E

Date of offence	16-05-2022
Date of FIR	17-05-2022
Date of Charge sheet	13-10-2022
Date of framing of charges	13-01-2023
Date of commencement of Evidence	29-11-2023
Date of which judgment is reserved	29-06-2026
Date of the judgment	20-07-2026
Date of the Sentencing Order, if any	20-07-2026

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	हरिशंकर गोंड पिता नंदू सिंह गोड़, आयु 40 वर्ष, निवासी– लिमतरी, थाना चकरभाठा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	03.08.2022	03.08.2022	धारा 279, 337 338 भा.दं.सं.	धारा 279, 338 भा.दं.सं में दोषसिद्ध	धारा 338 भा.दं.सं. में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/– के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 20 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताई जावे ।	निरंक

FORM-F

Index

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of Advocates	1
3	Charge	3
4	Admitted Facts	NA
5	Prosecution Story	3-4
6	Reasons and findings	5-11
7	Sentence	13
8	Period of Detention & Set-Off	11
9	Disposal of Property	14
10	Order of Compensation	NA
11	Certificate under section 428 CrPC	15
12	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	14
13	Copy of Judgment	14

//निर्णय//
(दिनांक 20.07.2026 को घोषित)

(01)– अभियुक्त हरिशंकर गोंड़ के विरूद्ध दिनांक 16.05.2022 को समय 20.30 बजे, स्थान–कड़ार बाईपास चौक के पास हाईवे रोड, अंतर्गत थाना–चकरभाठा में अपने आधिपत्य का वाहन मोटर सायकल पेशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 को उपेक्षा या उतावलेपन से तेज गति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को तेजी व उतावलेपन से चलाकर वाहन TVS XL 100 क्रमांक CG 10 AZ 7611 को ठोकर मारकर आहत भरत लाल केंवट को साधारण उपहति कारित करने एवं आहत प्रेमलाल को ठोकर मारकर घोर उपहति कारित करने से धारा 279, 337 एवं 338 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

(02)– अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.05.2022 को प्रार्थी भरत लाल केंवट और उसका भतीजा प्रेमलाल केंवट बड़े भाई दुर्गा प्रसाद केंवट के TVS XL 100 क्रमांक CG 10 AZ 7611 में सब्जी बेचने सेंवार गये थे । सब्जी बेचकर वापस लौटते सयम कडार बाईपास चौक हाईवे रोड पर पहुंचा था उसी समय गलत दिशा से आकर मोटर सायकल पेशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाकर प्रार्थी के वाहन TVS XL 100 क्रमांक CG 10 AZ 7611 को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे प्रार्थी के दाहिने पैर, दाहिने कंधा में चोट लगा एवं भतीजा प्रेमलाल केंवट के दाहिने पैर के घुटना, जांघ एवं उंगली में चोट लगा है । दिनांक 17.05.2022 को घटना की रिपोर्ट थाना चकरभाठा में दर्ज कराई गई । उक्त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 152/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 भा०दं०सं० दर्ज की गई । आहत प्रेमलाल का बेडहेड टिकट एवं एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त कर फ्रैक्चर पाये जाने से धारा 338

भा०दं०सं० जोड़ी गई । गवाहों के कथन लेखबद्ध कर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 252/2022, दिनांक 13.10.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

(03)– अभियुक्त द्वारा कण्डिका क्रमांक–1 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया गया है। अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में अभियुक्त द्वारा व्यक्त किया गया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(04)– न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः–

1– क्या दिनांक 16.05.2022 को समय 20.30 बजे, स्थान–कड़ार बाईपास चौक के पास हाईवे रोड, अंतर्गत थाना–चकरभाठा में आहत भरत लाल केंवट को उपहति एवं प्रेमलाल केंवट को गंभीर उपहति कारित हुई ?

2– क्या उक्त दिनाँक, समय एवं स्थान पर उक्त उपहति अभियुक्त ने वाहन मोटर सायकल पेशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 को चलाकर कारित की ?

3– क्या उक्त दिनाँक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से तेज गति से चलाकर उक्त आहतगण को उक्त उपहति एवं मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

4– दोषमुक्ति या दोषसिद्धी?

(05)– अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्नवत साक्षी के साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैंः–

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम
अ०सा०–1	भरत लाल केंवट
अ०सा०–2	दुर्गा प्रसाद केंवट

अ०सा०–3	प्रेमलाल केंवट
अ०सा०–4	प्रधान आरक्षक प्रवीण कुमार पाण्डेय
अ०सा०–5	देवारी लाल

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज**
प्र०पी०–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति
प्र०पी०–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्र०पी०–3	नजरी नक्शा
प्र०पी०–4	जप्ती पत्रक
प्र०पी०–5, 6	कथन
प्र०पी०–7	गिरफ्तारी पत्रक

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01

(06)– इस संबंध में अ०सा०–1 भरत लाल केंवट, प्रकरण के प्रार्थी, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वर्ष 2022 की दिनांक 16 तारिख की है। साक्षी ने घटना का माह याद नहीं होना बताया। घटना रात 08.30 बजे करीब कड़ार बाईपास रोड की है। घटना दिनांक को साक्षी अपने भतीजे के साथ मोटर सायकल TVS XL क्रमांक CG 10 AZ 7611 से सब्जी बेचकर अपने गांव आ रहा था। अभियुक्त द्वारा मोटर सायकल पेशन प्रो से आकर साक्षी की गाड़ी को ठोकर मार दी गई जिससे साक्षी की पैर की उंगली फैक्चर हो गई थी और उसके भतीजे के पैर की उंगली कट गई थी और दो जगह हड्डी टूट गई थी। साक्षी एवं उसके भतीजे को सिम्स अस्पताल लेकर गये थे। साक्षी के भतीजे को यूनीटी अस्पताल रिफर कर दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी०–2 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किये हैं। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर

साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना मई माह की है ।

(07)– अ०सा०–3 प्रेमलाल ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 16.05.2022 को रात 08.30 बजे कडार बाईपास के थोड़ा सामने घटना घटित हुई थी । साक्षी अपने चाचा के साथ TVS XL 7611 सेंवार बाजार से सब्जी बेचकर लौट रहा था । पल्सर के चालक ने शराब के नशे में तेजी से आकर गाड़ी को ठोकर मार दी, जिससे साक्षी के पैर की हड्डी टूट गई, जांघ की हड्डी टूट गई एवं पैर की छोटी उंगली कट गई थी । न्यायालय द्वारा साक्ष्य अंकन दौरान साक्षी के पैर की उंगली कटी होना पाया गया ।

(08)– अ०सा०–2 दुर्गा प्रसाद केंवट ने अभिसाक्ष्य दिया कि अ०सा०–1 भरत लाल उसका छोटा भाई एवं अ०सा०–3 प्रेमलाल उसका बेटा है । घटना 16 मई 2022 रात 08.30 बजे कड़ार बाईपास की है । साक्षी का पुत्र एवं भाई मोटर सायकल TVS XL क्रमांक CG 10 AZ 7611 से सब्जी बेचकर अपने घर आ रहे थे । साक्षी को घटना की जानकारी फोन में हुई । साक्षी के भाई को साधारण चोटे थी । साक्षी के पुत्र की जांघ एवं पैर की हड्डी टूट गई थी एवं एक पैर की उंगली कट गई थी । प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखा है । अ०सा०–4 प्रधान आरक्षक प्रवीण कुमार पाण्डेय ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 17.05.2022 को अ०सा०–1 भरत लाल केंवट की मौखिक सूचना पर अपराध क्रमांक 152/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 भा०दं०सं० वाहन मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई थी । प्रपी०–1 पर साक्षी ने उसके हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है । प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी को बार–बार आदेशिकाएं जारी करने साक्षी की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है ।

(09)– अ०सा०–1 भरतलाल केंवट ने उसके पैर के उंगली में घटना में फ्रैक्चर होना बताया है । इस संबंध में अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं है । प्रपी०–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना में साक्षी ने उसके दाहिने कंधे एवं दाहिने पैर में चोट लगना

बताया है, जिससे दर्शित है कि साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी०–1 से अतिरिक्त एवं बढ़चढ़ कर कथन कर रहा है । इस संबंध में कोई चिकित्सकीय साक्षी का साक्ष्य भी नहीं हुआ है । अतः यह प्रमाणित नहीं है कि आहत भरत लाल को उंगली में फ्रैक्चर हुआ था । इसके अतिरिक्त आहत अ०सा०–1 भरत लाल केंवट ने अन्य कोई शरीर के अंग पर दुर्घटना में चोट आना नहीं बताया है । अतः भरत लाल को दुर्घटना में किस प्रकार की चोट आई यह प्रमाणित नहीं है ।

(10)– अ०सा०–1 भरत लाल केंवट ने बताया है कि उसके भतीजे अ०सा०–3 प्रेमलाल की पैर की छोटी उंगली कट गई थी और दो जगह से हड्डी टूट गई थी । उक्त साक्ष्य से साक्षी ने उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी०–1 में बताये गये तथ्य कि प्रेमलाल के घुटने, जांघ एवं उंगली में चोट आई थी के तथ्य की सारवान रूप से पुष्टि की है । अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट ने बताया है कि उसके जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई थी और पैर की छोटी उंगली कट गई थी । साक्षी ने अ०सा०–1 भरतलाल केंवट के साक्ष्य का समर्थन किया है । प्रकरण में किसी चिकित्सकीय साक्षी का साक्ष्य न होने से यह प्रमाणित नहीं है कि अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट की पैर और जांघ की हड्डी टूटी थी । उक्त साक्षीगण का साक्ष्य इस बिंदु पर अखण्डनीय रहा है कि अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट की पैर की छोटी उंगली कट गई थी । उक्त तथ्य का पूर्णतः समर्थन न्यायालय द्वारा साक्ष्य दौरान अंकित की गई टीप से हो रहा है , जिसमें उल्लेखित है कि अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट की उंगली कटी होना पायी गई थी । अतः यह प्रमाणित है कि सड़क दुर्घटना दिनांकित 16.05.2022 में प्रेमलाल केंवट की उंगली कट गई थी । **धारा 320 (घ) भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार घोर उपहति का अर्थ है–किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद ।** अतः उक्त प्रावधान अनुसार उंगली कट जाना घोर उपहति की श्रेणी में आता है । अतः यह प्रमाणित है कि सड़क दुर्घटना में आहत प्रेमलाल को घोर उपहति कारित हुई थी । अतः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 अंशतः प्रमाणित है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–2

(11)– अ०सा०–1 भरत लाल केंवट द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अभियुक्त को जानता है । आरोपी उसके पड़ोस गांव का है । घटना दिनांक को साक्षी अपने दिशा में चल रहा था तथा अभियुक्त ने गलत दिशा से अपनी मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 से आकर साक्षी की गाड़ी को ठोकर मार दी थी । अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट ने अभियुक्त को नहीं पहचाना है । अ०सा०–2 दुर्गाप्रसाद केंवट ने अभियुक्त को पहचानता है, परन्तु साक्षी ने बताया है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था । अ०सा०–1 भरत लाल केंवट इस बिंदु पर अखण्डनीय रहा है कि अभियुक्त द्वारा दुर्घटना कारित की गई । अतः यह प्रमाणित है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 अभियुक्त हरिशंकर गोड़ द्वारा दुर्घटना कारित करते समय संचालित किया जा रहा था । अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–3

(12)– इस संबंध में अ०सा०–1 भरत लाल केंवट ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त द्वारा गलत दिशा से उसकी मोटर सायकल पैशन प्रो सीजी 04 जेएफ 9360 से आकर साक्षी की गाड़ी को ठोकर मार दी थी । न्यायालय द्वारा प्रश्न पर साक्षी ने स्वीकार किया कि है कि अपनी रिपोर्ट में साक्षी ने, चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल चलाकर एक्सीडेंट करने वाली बात बताई थी । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया कि वह घटना कारित करने वाले वाहन को कैसे चलाया जा रहा था नहीं बता सकता । साक्षी ने अस्वीकार किया कि घटना के समय उसके गाड़ी में रखे हुए खाली डिब्बे पर उसने अपने भतीजे को बिठाया था जिसके कारण बैलेंस बिगड़ने से साक्षी एवं उसका भतीजा गिर गये थे । साक्षी इस बिंदु पर अखण्डनीय

रहा है कि अभियुक्त गलत दिशा में वाहन चला रहा था । इस संबंध में अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट, ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना दिनांक 16.05.2022 को पल्सर के चालक ने शराब के नशे में तेजी से आकर ठोकर मारी थी । प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन का चालक शराब पिया था या नहीं वह नहीं बता सकता । इसके अतिरिक्त घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है ।

(13)– अ०सा०–1 भरत लाल केंवट द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह बताकर कि अभियुक्त गलत दिशा में अपना वाहन तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था, उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी०–1 की पुष्टि की है । अ०सा०–3 प्रेमलाल केंवट ने वाहन चालक द्वारा उसके वाहन को तेजी से चलाना बताया है । उक्त बिंदु पर प्रतिपरीक्षण में दोनों ही साक्षीगण सारवान रूप से अखण्डनीय रहे हैं । अतः यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को अभियुक्त गलत दिशा में तेजी से वाहन चला रहा था ।

(14)– उपेक्षा व उतावलेपन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः–

Rashness consists in hazarding a dangerous or wanton act with the knowledge that it is so, and that it may cause injury. The criminality lies in such a case in running the risk of doing such an act with recklessness or indifference as to the consequences.

Criminal negligence on the other hand is the gross and culpable or proper case and precaution to guard against injury either to the public generally or to an individual in particular, which having regard to all the circumstances out of which the charge has arisen, it was the imperative duty of the accused person to have adopted.

(15)– गलत दिशा में वाहन चलाने से निश्चित ही अभियुक्त को ज्ञात था कि दूसरी दिशा में आ रहा वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो सकता है । इस ज्ञान के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा गलत दिशा में वाहन तेज गति से चलाया जाना, उसके द्वारा वाहन चलाये जाने में उतावलापन दर्शाता है । इसके अतिरिक्त सड़क पर चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी दिशा से सड़क पर चले । अभियुक्त ने उक्त कर्तव्य का उल्लंघन कर वाहन चलाने में उपेक्षा की है ।

(16)– **In State of Karnataka Vs. Akram Pasha 2007 (4) AICLR 712: 2008 Cri. L. J. 155 it was held that once the prosecution indicates highly rash and negligent act of driving by the driver of the vehicle then the burden shifts upon the driver to show that he was not at fault and if the accused fails to avail such opportunity court will have to accept the version of the prosecution. In these circumstances, we will have to accept the version of the prosecution. Since, the accused has not led any defence evidence to counter the allegations of rashness and negligence proved against him by the prosecution, therefore, the evidence lead by the prosecution has to be accepted as correct.**

(17)– अभियोजन द्वारा अभियुक्त का उपेक्षा व उतावलेपन का कृत्य प्रमाणित किया है। अभियुक्त उपरोक्त तथ्य का खंडन किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य से करने मे असफल रहा है। अतः अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रही है कि अभियुक्त ने उक्त दिनाँक, समय एवं स्थान पर लोकमार्ग पर घटना कारित वाहन मोटर सायकल पेशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर, मानव जीवन संकटापन्न किया एवं प्रेमलाल केंवट को घोर उपहति कारित की । अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक –3 प्रमाणित है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04–

(18)– उपरोक्त अभियोजन के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त हरिशंकर गोड़ ने दिनांक 16.05.2022 को समय 20.30 बजे, स्थान–कड़ार बाईपास चौक के पास हाईवे रोड, अंतर्गत थाना–चकरभाठा में अपने आधिपत्य का वाहन मोटर सायकल पेशन प्रो क्रमांक CG 04 JF 9360 को उपेक्षा या उतावलेपन से तेज गति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को तेजी व उतावलेपन से चलाकर वाहन TVS XL 100 क्रमांक CG 10 AZ 7611 को ठोकर मारकर एवं आहत प्रेमलाल को ठोकर मारकर घोर उपहति कारित की गई है । अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त दुर्घटना में आहत भरत लाल केंवट को उपहति कारित की । अतः अभियुक्त **हरिशंकर गोड़** को **धारा 337 भा०दं०सं०** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है एवं **धारा 279, 338 भा.द.सं.** के अंतर्गत **''दोषसिद्ध''** किया जाता है।

(19)– अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत बंधपत्र को निरस्त किया जाता है।

(20)– प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

AKANKSHA SAXENA Digitally signed by AKANKSHA SAXENA

(आकांक्षा सक्सेना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिल्हा, जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

पुनश्चः–

।।दण्डादेश।।

(21)– दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन एवं अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया । अभियोजन की ओर से अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिए जाने का निवेदन किया है।

(22)– अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया जिन्होंने व्यक्त किया है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है इसलिए कम से कम दण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

(23)– धारा 71 भा0 द 0 स अनुसारः–

71. Limit of punishment of offence made up of several offences- Where anything which is an offence is made up of parts, any of which parts is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences, unless it be so expressly provided.

Where anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, or

Where several acts, of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute, when combined, a different offence,

the offender shall not be punished with a more severe punishment than the Court which tries him could award for any one of such offences.”

In the above context it has been ruled long back by the Full Bench of our erstwhile Madhya Bharat High Court in *State V Gulam Meer, AIR 1956 MB 141* that an offence under section 279 IPC is distinct from offence under section 337 or 338 IPC and, therefore, a person convicted of an offence under section 337 or 338 IPC, can also be convicted of an offence under section 279 IPC. If, however, the two offences are committed in the same transaction, section 71 IPC will govern the assessment of punishment. In *Roopchand v. State of Chhattisgarh, 2001 (1) MPHT 22 (CG),* it is held by Hon'ble Chhattisgarh High Court that since the rash and negligent act under section 279 IPC provides foundation for conviction under sections 337 and 338 IPC, separate sentences could not be passed as act of negligent driving would merge in act covered under section 338 IPC.

(24)– उपरोक्त धारा एवं न्यायदृष्टांतों के परिपेक्ष्य यद्यपि अभियुक्त को धारा 279, 338 में दोषसिद्ध पाया गया है परंतु दंडित अंतर्गत धारा 338 भा.द.सं. में किया जा रहा है। अतः सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्नरूप से दण्डित किया जा रहा है–

क्र.	अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सजा
1	हरिशंकर गोंड पिता नंदू सिंह गोड़, आयु 40 वर्ष, निवासी लिमतरी, थाना चकरभाठा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	338 भा.दं.सं.	एक वर्ष का कठोर कारावास	500/–रूपये	20 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास

(25)– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन TVS XL 100 क्रमांक CG 10 AZ 7611 सुपुर्दनामें पर है । अपील न होने पर अपील अवधि पश्चात सुपुर्दनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में भारमुक्त हो । वाहन क्रमांक CG 04 JF 9360 अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिक दावेदार द्वारा दावा किये जाने पर प्रदान की जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश प्रभावी रहेगा ।

(26)– प्रकरण में धारा 428 द.प्र.सं. के तहत रिमाण्ड से लेकर विचारण दिनांक तक अभियुक्त के निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

(27)– सजा वारंट तैयार किया जावे ।

(28)– अभियुक्त को निर्णय की प्रति प्रदान की जावे ।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित।
कर घोषित किया गया।

AKANKSHA SAXENA
Digitally signed by AKANKSHA SAXENA

(कु.आकांक्षा सक्सेना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिल्हा, जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

AKANKSHA SAXENA
Digitally signed by AKANKSHA SAXENA

(कु.आकांक्षा सक्सेना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिल्हा, जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

स्थान–बिल्हा,
दिनांक–20.07.2026

न्यायालयः कु. आकांक्षा सक्सेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)
धारा 428 द.प्र.स. के तहत निरोध अवधि के संबंध में प्रमाण पत्र

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	मुजरा की जाने की कुल अवधि	शेष भुगताई जाने वाली सजा की अवधि	विशेष
1.	हरिशंकर गोंड पिता नंदू सिंह गोड़, आयु 40 वर्ष, निवासी–लिमतरी, थाना चकरभाठा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)	03.08.2022	निरंक	निरंक	निरंक	एक वर्ष का कठोर कारावास	निरंक

AKANKSHA SAXENA Digitally signed by AKANKSHA SAXENA

(कु.आकांक्षा सक्सेना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)